






ओमकार वगै० बनाम राजस्थान सरकार वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

प्रकरण संख्या 10/2025 प्रा०पत्र बाबत पत्थरगढी 128 एलआरएक्ट

दिनांक या आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18.09.2025	<p>प्रार्थीगण की ओर से यह पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक श्री पवन कुमार शर्मा द्वारा पेश किया गया । रिपोर्ट सरिस्ता ली गई । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो । अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 15/10/25 को पेश हों ।</p> <p style="text-align: center;"> उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)</p>	
15/10/25	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील श्री उप/ अन. धी रणवीर कहरिया ने अप्रार्थी से 8 अगस्त 18, 19 व 21 की ओर से उ.ग.दी अप्रार्थी से 1 व 29 की तामिल ले ली है। लेकिन उप नही है। शेष अप्रार्थीगण की बचत रूप से तामिल नही हुई है। वकील श्री पुनः तखबाना पेश करे। वारंते पेश देने वकालतनामा, तखबाना, जवाब देह पत्रावली दिनांक 29/10/25 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;"> उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)</p>	<p>U.T. for मस्यौदा 8 अगस्त 18, 19 व 21 की ओर से  450</p>
29/10/25	<p>वकील उभयपक्ष ने शहपुरा जिला कार्यालय स्थित रखा P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य से प्रस्तुत है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 19/11/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> प्रस्तुतकार</p>	
19/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने पर भी वकील श्री व स्वयं प्रार्थीगण कोई भी उप नही है। अतः प्रकरण अदम्य बजरी अदम्य पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल सुमार लेकर दानिखत पत्र ले कर एन नम्बर वे कम है।</p> <p style="text-align: center;"> उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)</p>	